e-mail

पत्र संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(विविध)02–41/2007–...../

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अनुपम कुमार,
सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–....., 2025

विषय : ***बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के पदाधिकारी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र की अवधि में पदाधिकारी दीर्घा के प्रथम पंक्ति में पूर्व की भांति एक–एक स्थान क्रमशः मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उक्त विभाग/अन्य विभाग के कनीय पदाधिकारी उन सुरक्षित स्थानों पर बैठ जाते हैं, बाद में वरीय पदाधिकारी के आने पर उनको बैठने में कठिनाई होती है।

अतः विभागों से संबंधित वाद–विवाद/प्रश्नादि के उत्तर देने की आवश्यकता जिस दिन नहीं हो उस दिन उन विभागों के पदाधिकारी, पदाधिकारी दीर्घा में स्थान का उपयोग न करें। पदाधिकारी दीर्घा में स्थान की कमी एवं पदाधिकारियों की अधिक संख्या के कारण यह व्यवस्था करना भी अपेक्षित है कि यदि स्थान से अधिक पदाधिकारियों की उपस्थिति हो तो प्रश्नादि के उत्तर देने में जिन विभागों का क्रम बाद में हो वे पहले क्रम वाले विभाग के पदाधिकारियों को बैठने में प्राथमिकता दें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वरीय पदाधिकारी के आने पर कनीय पदाधिकारी उनके लिए स्थान खाली कर दें।

अनुरोध है कि बिहार विधान सभा/विधान परिषद् के पदाधिकारी दीर्घा में बैठने की व्यवस्था के संबंध में अपने अधीनस्थ विभागीय पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि पदाधिकारी दीर्घा में आसन की समस्या उत्पन्न नहीं हो एवं सत्रावधि में विधायी कार्यों का निष्पादन सुचारू रूप से हो सके।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अनुपम कुमार)
सचिव।

ज्ञाप संख्या–सं0का0–1/वि0मं0(विविध)02–41/2007–166./ पटना, दिनांक–25.02.2025

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुशील कुमार मिश्र)
सरकार के उप सचिव।